

21 आषाढ़ 1934 (शO) (संO पटना 328) पटना, वृहस्पतिवार, 12 जुलाई 2012

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचनाएं

11 जुलाई 2012

सं० ८ / नियम संशोधन (सर्वे०)–08–02 / 2012–590(8)—बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2012 की धारा–28 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाती है :–

अध्याय–I

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।—(1) यह नियामवली "बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगी जो सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाय।

2. परिभाषाएं ।—इस नियमावली में जबतक कुछ भी विषय या सन्दर्भ में विरुद्ध न हो, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा—2 में दिए गए शब्दों की परिभाषाएं बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 में लागू होंगी।

अध्याय–II अधिसूचना एवं उद्घोषणा

3. अधिसूचना।— (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के माध्यम से विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रचालित करने हेतु अपना आशय अभिव्यक्त करेगी।

(2) पूर्वगामी नियम– 3 (1) के अधीन प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियाँ केन्द्र / राज्य सरकार के विभिन्न कार्योलयों को भी विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रचालन के दौरान प्रविष्टियों से सम्बन्धित अपने दावा/आक्षेप, अगर कोई हो, करने हेतु समर्थ करने के लिए अग्रसारित की जाएंगी ताकि उनके द्वारा धारित/स्वामित्व की भूमि का सही रूप से अधिकार–अभिलेख तैयार किया जा सके। 4. उद्घोषणा — (1) भू—खण्डों के सीमा—चिहनों को बताने के प्रयोजनार्थ अपनी भूमि का सीमांकन करने हेतु उन्हें निदेशित करने के लिए बन्दोबस्त पदाधिकारी,विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रचालन के अधीन भूमि के भू–स्वामियों ⁄ हित रखने वाले व्यक्तियों को सम्बोधित प्रपत्र—1 में एक उद्घोषणा प्रकाशित करेगा।

(2) पूर्वगामी नियम–4 (1) के अधीन उद्घोषणा के प्रकाशन के उपरान्त, बन्दोबस्त पदाधिकारी अथवा बन्दोबस्त पदाधिकारी की अधिकारिता में कार्यरत कोई अन्य पदाधिकारी / कर्मचारी को, विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के अधीन भूमि में प्रवेश करने, जांच करने तथा वैसी भूमि का किसी पद्धति जैसा वह उचित समझे, द्वारा मापी करने की शक्ति होगी तथा सर्वेक्षण के प्रयोजनार्थ किसी पेड़, जंगल, खड़ी फसल अथवा अन्य बाधा को काटकर अथवा हटाकर, जैसा आवश्यक हो, भूमि को साफ करने की शक्ति होगी। तथापि उपर्युक्त कार्रवाई के लिए खर्च के संबंध में कोई दावा या प्रतिकर का दावा नहीं किया जा सकेगा।

अध्याय–III

चालू सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रचालनों का पुनर्गठन

5. चालू सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रचालनों का पुनर्गठन ⊢ सरकार, कार्यपालक आदेश द्वारा, किसी जिला में चालू सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रचालनों को बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के अनुरूप लाने के लिए पुनर्गठित कर सकेगी।

अध्याय–IV स्वघोषणा

6. भू–धारी द्वारा स्वघोषणा एवं इसका सत्यापन।–(1) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 के नियम 3(1) के अधीन, अधिसूचना के प्रकाशन के उपरान्त, भू–स्वामी/भू–धारी अपने स्वामित्व/धारित भूमि से संबंधित स्वघोषणा प्रपत्र–2 में, दो प्रतियों में, समर्पित कर सकेगा। स्वघोषणा की एक प्रति, प्राप्त करने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी के द्वारा अपना हस्ताक्षर, तिथि एवं क्रम संख्या अंकित कर, उसकी पावती के प्रमाण के रूप में, सम्बन्धित व्यक्ति को दी जाएगी।

(2) स्वघोषणा, नियम 3(1) के अधीन, अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 कार्य–दिवसों के भीतर समर्पित की जाएगी। तथापि, विशेष परिस्थिति में यह अवधि 15 अतिरिक्त कार्य दिवसों के लिए बढ़ायी जा सकती है।

(3) स्वघोषणा, सम्बन्धित अंचल अधिकारी/सम्बन्धित शिविर के प्रभारी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के समक्ष समर्पित की जा सकती है।

(4) अगर स्वघोषणा, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के समक्ष समर्पित की जाती है तो उसे पूर्वगामी उप—नियम—(1) में प्रावधानित रीति से प्राप्त किया जाएगा तथा उसे सम्बन्धित अंचल के अंचल अधिकारी को, उसके सत्यापन हेतु अग्रसारित कर दिया जाएगा।

(5) अंचल अधिकारी, स्वघोषणा के ब्योरे को राजस्व अभिलेखों, यथा अंतिम अधिकार—अभिलेख, पंजी—1 ख अर्थात् चालू खतियान, पंजी—2 अभिधारी खाता—पंजी या अपने स्तर पर संधारित किए जाने वाले उपलब्ध उसी प्रकार के किसी राजस्व अभिलेख के आधार पर सत्यापित करेगा।

(6) स्वघोषणा के सत्यापन की अधिकतम अवधि, स्वघोषणा की प्राप्ति की तिथि से, 15 कार्य–दिवस की होगी।

(7) स्वघोषणा के सत्यापन के उपरान्त, अंचल अधिकारी **प्रपत्र—3** में सत्यापन प्रमाण—पत्र तैयार करेगा तथा उसे सम्बन्धित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

(8) कोई स्वघोषणा, जिसे अंचल अधिकारी द्वारा सुसंगत अभिलेखों की अनुपलब्धता अथवा किसी विवाद के कारण सत्यापित नहीं किया जा सका हो, उसके सत्यापन नहीं होने का संक्षिप्त कारण देते हुए, प्रपत्र—4 में एक पृथक पंजी में रखा एवं संधारित किया जाएगा तथा स्वघोषणाओं सहित पंजी सम्बन्धित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को भेज दी जायेगी।

अध्याय–V किस्तवार

שאממוא

7. आधुनिक तकनीक द्वारा किस्तवार।—(1) किसी राजस्व ग्राम के किस्तवार का क्रियान्वयन, आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से, धरातल मानचित्रण, भू—खण्डों के साथ राजस्व ग्राम का सीमांकन तथा स्थल सत्यापन द्वारा किया जाएगा।

(2) राजस्व मानचित्र, भू–खण्डों की सघनता को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न पैमानों पर तकनीकी ब्योरा, शीर्षक, तथा मानचित्र से सम्बन्धित कोई अन्य प्रासंगिक ब्योरा निगमित करते हुए, तैयार किया जाएगा ताकि किसी भी भू–खण्ड तथा उसकी चौहदी स्पष्ट रूप से दर्शायी एवं मापी जा सके।

(3) उस प्रकार तैयार मानचित्र, सम्बन्धित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को, उसके सत्यापन हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। अमीन, मानचित्र के शत–प्रतिशत भू–खण्डों का सत्यापन करेगा तथा कानूनगो, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी एवं बन्दोबस्त पदाधिकारी बेतरतीब रूप से क्रमशः 25%, 10%, 2%, तथा 1% भू–खण्डों की जाँच करेंगे।

(4) मानचित्र का सत्यापन, विगत सर्वेक्षण के मानचित्र से तुलना के साथ–साथ विद्यमान भू–खण्डों के रकबा एवं चौहदी के स्थल सत्यापन द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा।

(5) राजस्व ग्राम के मानचित्र सत्यापन, मानचित्र प्राप्ति की तिथि से 30 कार्य–दिवसों से अनधिक अवधि के भीतर, पूर्ण कर लिया जायेगा।

(6) उस प्रकार तैयार मानचित्र, आवश्यक संशोधन के उपरान्त सम्बन्धित राजस्व ग्राम के ग्राम पंचायत के कार्यालय के साथ–साथ शिविर कार्यालय के सूचना पटों पर आम जनता हेतू उपदर्शित रहेगा।

अध्याय–VI

खानापुरी

8. खानापुरी दल का गठन ।– (1) सम्बन्धित जिला के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा, राजस्व ग्राम–वार, खानापुरी दलों का गठन निम्नलिखित को मिलाकर कर किया जायेगा :–

- (i) सम्बन्धित अंचल कार्यालय का एक पदाधिकारी / राजस्व कर्मचारी;
- (ii) निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार का प्रतिनिधि;
- (iii) कोई अन्य पदाभिहित पदाधिकारी / कर्मी;

(2) खानापुरी दल का गठन सम्बन्धित जिला के राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

(3) खानापुरी दल का नेतृत्व कानूनगो अथवा समकक्ष श्रेणी के एक पदाधिकारी / कर्मचारी द्वारा किया जायेगा।

(4) उपर्युक्त रीति से गठित खानापुरी दल, सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

9. खानापुरी कार्य ।—(1) किसी राजस्व ग्राम में खानापुरी कार्य—आरम्भ करने के पूर्व, ग्राम—वार तेरीज अर्थात विगत अधिकार—अभिलेख का संक्षिप्त सार तथा खेसरा पंजी, तीन प्रतियों में, क्रमशः प्रपत्र—5 एवं प्रपत्र—6 में तैयार किये जाएंगे।

(2) अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत तथा सम्बन्धित शिविर के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध कराए गए रैयतों की स्वघोषणा के सम्बन्ध में सत्यापन प्रमाण–पत्र का, शिविर में तेरीज तथा खेसरा पंजी की सहायता से, पुनर्सत्यापन किया जाएगा।

(3) स्वघोषणा का, जिसे अंचल अधिकारी द्वारा सुसंगत राजस्व अभिलेखों की अनुपलब्धता अथवा विवाद के कारण सत्यापित नहीं किया जा सका हो, खानापुरी दल द्वारा उपलब्ध अभिलेखों यथा तेरीज, खेसरा पंजी इत्यादि के आधार पर सत्यापन किया जाएगा।

(4) खानापुरी दल, सम्बन्धित राजस्व ग्राम के प्रत्येक खेसरा के किस्तवार के उपरान्त उपलब्ध कराए गए मानचित्र के साथ भौतिक सत्यापन करेगा एवं खेसरा की आकृति में सभी प्रकार के परिवर्तन तथा अन्य परिवर्तन भी, यदि कोई हो, दर्ज करेगा। मानचित्र में दर्शाए गए रकबा एवं चौहद्दी से यदि कोई खेसरा अन्तर आता है, तो खानापुरी दल उसे मानचित्र में लाल स्याही से भर देगा। यदि कोई खेसरा दो या अधिक भागों में उप विभक्त पाया जाता है तो प्रत्येक वैसे खण्ड के लिए एक अलग "बटा संख्या (विभक्ति संख्या)" दी जाएगी, तथा वैसे मामलों में खेसरों के उप–विभाजन को टूटी हुई रेखा में दर्शाया जायेगा। तदनुसार सम्बन्धित राजस्व ग्राम के मानचित्र को परिवर्तित / शुद्ध किया जाएगा। अमीन राजस्व ग्राम के शत–प्रतिशत खेसरों का सत्यापन करेगा तथा कानूनगो, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी एवं बन्दोबस्त पदाधिकारी बेतरतीब रूप से क्रमशः 25%, 10%, 2% तथा 1% खेसरों का सत्यापन करेंगे।

(5) क्षेत्रीय सत्यापन के दौरान, खानापुरी दल लोकभूमि, सरकारी भूमि की पहचान एवं सीमांकन करेगा तथा उसे प्रारम्भिक अधिकार—अभिलेख में अभिलिखित करेगा।

(6) सत्यापन के उपरान्त, उपलब्ध संदर्भ राजस्व अभिलेखों, स्वघोषणा के सत्यापन प्रमाण–पत्रों के साथ–साथ वास्तविक क्षेत्रीय सत्यापन के आलोक में खानापुरी दल रैयत–वार **प्रपत्र–7** में खानापुरी पर्चा तैयार करेगा।

(7) **प्रपत्र—7** में तैयार किया गया खानापुरी पर्चा, सरकारी भूमि∕लोक भूमि से सम्बन्धित पदाधिकारियों सहित भू–धारी∕स्वामी को तामील किया जाएगा। भू–धारी∕स्वामी को, सुविधाजनक स्थान एवं नियत तिथि एवं समय पर खानापुरी पर्चा की प्रविष्टियों से अवगत भी कराया जाएगा।

(8) प्रपत्र–7 में तैयार पर्चा, सम्बन्धित रैयत अथवा उसके निकट सम्बन्धी को तामील किया जाएगा। तथापि, यदि वह पर्चा प्राप्त करने से इन्कार करता है तो उसे घर के सामने वाले दरवाजा/दीवार पर चिपकाकर उसका तामील किया जाएगा। पर्चा तामील करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, जहाँ तक सम्भव हो, पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम चौकीदार तथा अन्य स्थानीय निवासियों का हस्ताक्षर तामील–प्रतिवेदन पर प्राप्त करेगा और वह खानापुरी पर्चा का उचित तामील माना जाएगा।

(9) भू—धारी/स्वामी अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/लोक प्रतिष्ठान/स्थानीय निकाय के सम्बन्धित कार्यालयों के प्रतिनिधियों सहित भूमि में हित रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा खानापुरी पर्चा की प्रविष्टियों के विरूद्ध प्रपत्र−8 में दावा⁄आक्षेप दायर किया जा सकेगा तथा प्रपत्र−9 में उसके लिए संस्वीकृति के प्रमाण के रूप में एक रसीद सम्बन्धित व्यक्ति को निर्गत की जाएगी।

(10) भू—धारी⁄स्वामी अथवा भूमि में हित रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति से, सम्बन्धित शिविर कार्यालय में प्राप्त किया गया दावा⁄आक्षेप को **प्रपत्र—10** में एक पृथक पंजी में संधारित किया जाएगा।

(11) खानापुरी पर्चा तैयार करने एवं उसक[े]तामील करने में निजी एजेन्सियाँ लगायी जा सकेंगी। निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार द्वारा इसके सम्बन्ध में विस्तृत आदेश निर्गत किया जाएगा। निजी एजेन्सियों द्वारा उपर्युक्त कार्य करने के लिए, निदेशक भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार द्वारा, समय–समय पर, पारिश्रमिक/दर नियत की जाएगी।

10. खानापुरी के दौरान दावों/आक्षेपों का निपटारा ।–(1) सम्बन्धित कानूनगो/अंचल निरीक्षक/ सहायक चकबन्दी पदाधिकारी, दावों/अक्षेपों के निपटारे के लिए सम्बन्धित पक्षकारों को, प्रपत्र–11 में दावा/आपत्ति का संक्षिप्त विवरण के अलावे सुनवाई का स्थान, तिथि एवं समय का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए पृथक सूचनाएँ निर्गत करेगा।

(2) सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई तथा साक्ष्य, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का एक अवसर दिया जाएगा।

(3) कानूनगो/अंचल निरीक्षक/सहायक चकबंदी पदाधिकारी द्वारा दावों/आक्षेपों का निपटारा, संक्षिप्त रीति से दावों/आक्षेपों के दायर होने की तिथि से अधिकतम 30 कार्य–दिवस के भीतर, एक तर्कसंगत आदेश पारित कर के, किया जाएगा

परन्तु यदि दावे/आक्षेप सरकारी/लोक भूमि के सम्बन्ध में दायर किय गये हो तो उनकी सुनवाई एवं निपटारा सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/चकबंदी पदाधिकारी से अन्यून पंक्ति के किसी पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(4) सूचना के समुचित तामील के बाद भी यदि पक्षकारों में से कोई उपस्थित नहीं होता है, तो दावों/आक्षेपों का, उपलब्ध राजस्व अभिलेखों एवं स्थल सत्यापन के आधार पर, एकपक्षीय निपटारा किया जा सकेगा।

अध्याय–VII

खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप का प्रकाशन

11. खानापुरी अधिकार—अभिलेख प्रारूप की तैयारी ।—(1) खानापुरी कार्य पूर्ण होने के उपरांत, मानचित्र के साथ—साथ खानापुरी पर्चा की प्रविष्टियों के विरुद्ध खानापुरी प्रचालन के दौरान प्राप्त दावों/आक्षेपों के सम्बन्ध में आदेशों को निगमित करते हुए प्रपत्र—12 में खानापुरी अधिकार अभिलेख का प्रारूप तैयार किया जाएगा।

(2) मानचित्र सहित खानापुरी–अधिकार–अभिलेख शिविर के प्रभारी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किये जाएंगे।

12. खानापुरी अधिकार—अभिलेख प्रारूप का प्रकाशन I—(1) नियम 11 (1) के अधीन तैयार किया गया तथा नियम 11 (2) के अधीन सम्बन्धित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किये गये मानचित्र सहित खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप लगातार 30 दिनों की अवधि के लिए निम्नलिखित रीति से प्रकाशित किया जाएगा:—

(i) उसे सम्बन्धित विशेष सर्वे / बन्दोबस्त शिविर में प्रदर्शित करके;

(ii) उसे सम्बन्धित राजस्व ग्राम में किसी सहजदृश्य सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित करके;

(iii) उसे सम्बन्धित राजस्व ग्राम के ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित करके;

(iv) उसे संबंधित अंचल कार्यालय के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करके।

(2) नियम 12(1) के अधीन प्रकाशित मानचित्र सहित खानापुरी अधिकार—अभिलेख प्रारूप आम जनता के परिशीलनार्थ विशेष सर्वेक्षण/बन्दोबस्त शिविर कार्यालय में मुफ्त उपलब्ध रहेगा।

(3) मानचित्र की गैर अन्तिम प्रति इच्छुक रैयतों ⁄ भूमि में हित रखने वाले व्यक्तियों को, निदेशक भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार द्वारा यथा नियत फीस के भुगतान पर उपलब्ध करायी जायेगी।

13. अधिकार—अभिलेख प्रारूप की प्रविष्टियों के विरूद्ध दावा / आक्षेप दायर किया जाना।—(1) नियम 12 (1) के अधीन खानापुरी अधिकार—अभिलेख प्रारूप के प्रकाशन के साथ ही साथ, सम्बन्धित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, सम्बन्धित मानचित्र में दर्शाए गए भूखण्डों की आकृति सहित अधिकार—अभिलेख की प्रविष्टियों के विरूद्ध दावा / आक्षेप, यदि कोई हो, को आमंत्रित करने के लिए **प्रपत्र—13** में एक आम सूचना निर्गत करेगा।

(2) राजस्व ग्राम के एक प्रमुख सार्वजनिक स्थान पर, संबंधित ग्राम पंचायत तथा सम्बन्धित विशेष सर्वेक्षण/बन्दोबस्त शिविर के सूचना पटों पर चिपकाकर, आम सूचना प्रदर्शित की जायेगी।

(3) आम सूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेख रहेगा कि मानचित्र सहित अधिकार—अभिलेख की प्रविष्टियों के विरुद्ध दावा/आक्षेप यदि कोई हो, अधिकार—अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर मुफ्त दायर की जा सकेगी।

(4) भू—स्वामी/धारी अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/लोक प्रतिष्ठान/स्थानीय निकाय के संबंधित कार्यालय के प्रतिनिधियों सहित भूमि में हित रखने वाला कोई व्यक्ति मानचित्र सहित अधिकार—अभिलेख प्रारूप की प्रविष्टियों के विरूद्ध **प्रपत्र—14** में संबंधित विशेष सर्वेक्षण/बन्दोबस्त शिविर में दावा/आक्षेप दायर कर सकेगा। (5) संबंधित सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त शिविर में प्राप्त भू–स्वामी⁄धारी अथवा भूमि में हित रखने वाले किसी व्यक्ति के दावों/आक्षेपों को प्रपत्र–15 में एक पृथक पंजी में संधारित किया जाएगा तथा संबंधित व्यक्ति को उसके लिए संस्वीकृति के प्रमाण के रूप में प्रपत्र–16 में रसीद निर्गत की जाएगी।

(6) प्रत्येक ऐसे दावा/आक्षेप के लिए, दावों/आक्षेपों की प्राप्ति के क्रम में, एक पृथक वाद– अभिलेख खोला जाएगा।

(7) सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, दावों ⁄ आक्षेपों के एक संक्षिप्त विवरण के साथ प्रपत्र—17 में सभी संबंधित पक्षकारों को पृथक सूचनाएँ निर्गत करेगा जिसमें सुनवाई के स्थान, तिथि एवं समय का उल्लेख रहेगा।

(8) नियत तिथि को दावों/आक्षेपों की सुनवाई की जाएगी तथा साक्ष्य दर्ज किए जाएंगे। यदि आवश्यक हो, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी या तो स्वयं अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी/कर्मचारी को भू–खण्ड/भू–खण्डों पर भौतिक दखल के साथ–साथ सुनवाई के दौरान दिए गए साक्ष्यों की सत्यवादिता अभिनिश्चित करने हेतु भू–खण्ड/भू–खण्डों के निरीक्षण हेतु एक तिथि नियत करेगा। संबंधित पक्षकारों को उसकी अग्रिम जानकारी दी जाएगी। ऐसी स्थल जाँच–पड़ताल का एक ज्ञापन तैयार किया जाएगा एवं वाद–अभिलेख के साथ उसे उपाबद्ध किया जाएगा।

(9) उपस्थित होने, सुनवाई किए जाने तथा साक्ष्य, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने के उपरान्त, किसी पक्षकार के उपस्थित नहीं होने के मामले में, दावों / आक्षेपों का उपलब्ध अभिलेख, दस्तावेजी साक्ष्य तथा, यदि आवश्यक हो, स्थल निरीक्षण के आधार पर एक पक्षीय निपटारा किया जा सकेगा।

(10) सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/चकबंदी पदाधिकारी द्वारा दावों/आक्षेपों का, संक्षिप्त रीति से दावा/आक्षेप दायर होने की तिथि से अधिकतम 60 दिनों के भीतर निपटारा किया जा सकेगा।

परन्तु, यदि किसी भूमि से संबंधित दावों/आक्षेपों जिनका निपटारा खानापुरी प्रचालन के दौरान, वैसे पदाधिकारी, जो सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/चकबंदी पदाधिकारी से अन्यून पंक्ति के हों, द्वारा किया गया हो तो तो वैसी भूमि से संबंधित दावों/आक्षेपों का निपटारा, उसी पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा।

(11) खानापुरी अधिकार—अभिलेख प्रारूप की तैयारी तथा दावाकर्त्ता/आक्षेप एवं भूमि में हित रखने वाले व्यक्तियों को तामील करने हेतु सूचनाओं का प्रारूप तैयारी के लिए निजी एजेन्सियों को, निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप, बिहार द्वारा, समय—समय पर, यथानियत पारिश्रमिक/दर पर, लगाया जा सकेगा।

अध्याय VIII विश्रान्ति

14. विश्रान्ति :—(1) खानापुरी अधिकार—अभिलेख प्रारूप प्रकाशन के विरूद्ध दावों / आक्षेपों के सम्बन्ध में पारित आदेशों का, मानचित्र सहित अधिकार—अभिलेख प्रारूप में आवश्यक जोड़ / बदलाव करते हुए पालन किया जाएगा, जिसे "तरमीम" कहा जाएगा।

(2) ग्रामों की सीमा की ग्राम के विगत मानचित्र एवं पूर्व के विभिन्न प्रक्रम पर पारित आदेशों से विस्तृत तुलना की जाएगी तथा इस प्रक्रिया को **''मुकाबला''** कहा जाएगा। यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि प्रारूप अधिकार—अभिलेख में दर्शाए गए भू—खण्डों का रकबा संबंधित मानचित्र में दर्शाए गए रकबा से मेल खाता हो।

(3) अधिकार—अभिलेख प्रारूप के प्रकाशन के उपरान्त तैयार किए गए भू—खण्डों के रकबा तथा राजस्व ग्राम के कुल क्षेत्रफल एवं चौहद्दी का, विगत सर्वे—मानचित्र के प्रत्येक भू—खण्ड के रकबा तथा राजस्व ग्राम की चौहद्दी सहित राजस्व ग्राम के कुल क्षेत्रफल से गहन तुलना, जाँच—पड़ताल तथा सत्यापन किया जाएगा तथा इस प्रक्रिया को **''जाँच''** कहा जाएगा। संबंधित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी जाँच के बाद समाधान हो जाने पर प्रारूप प्रकाशन के बाद यथा तैयार नया रकबा पारित करेगा।

(4) संबंधित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा नया रकबा पारित होने के उपरान्त अमीनों/अनुज्ञप्ति प्राप्त सर्वेयरों द्वारा **प्रपत्र—18** में नया तेरीज अर्थात 'नये अधिकार—अभिलेख का सार' तथा **प्रपत्र—19** में नयी खेसरा पंजी तैयार की जाएगी।

(5) अधिकार—अभिलेख, उसके अंतिम प्रकाशन के पूर्व, रैयतों के नाम के हिन्दी वर्णक्रमानुसार व्यवस्थित किया जायगा तथा इस प्रक्रिया को **''तरतीब''** कहा जाएगा।

(6) समुचित जाँच–पड़ताल एवं तुलना के बाद नए तेरीज एवं खेसरा पंजी के आधार पर, अंतिम प्रकाशन हेतु प्रपत्र–20 में चार प्रतियों में अधिकार–अभिलेख तैयार किया जाएगा तथा इस प्रक्रिया को "सफाई" कहा जाएगा। अधिकार–अभिलेख की एक प्रति जो "रैयती फर्द" कहलाएगी, सम्बन्धित रैयतों को उपलब्ध करायी जाएगी। द्वितीय प्रति अभिधारी खाता पंजी तैयार करने हेतु संबंधित अंचल अधिकारी को भेज दी जाएगी। तृतीय प्रति जो "मालिकी फर्द" कहलाएगी, संबंधित जिला के समाहर्त्ता को उपलब्ध करायी जाएगी। चतुर्थ प्रति परिरक्षण एवं भावी निर्देश हेतु निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार की अभिरक्षा में रहेगी।

अध्याय IX

अधिकार–अभिलेख का अंतिम प्रकाशन

15. अधिकार—अभिलेख का अंतिम प्रकाशन।–(1) प्रपत्र–20 में अंतिम रूप से तैयार किए गए अधिकार—अभिलेख एवं मानचित्र की प्रतियाँ संबंधित जिला के बन्दोबस्त पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर के अधीन अंतिम रूप से प्रकाशित की जाएंगी। अंतिम प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के लगातार अवधि के लिए उन्हें निम्नलिखित रीति से आम जनता के निरीक्षण के लिए रखा जाएगा :––

(i) संबंधित विशेष सर्वेक्षण / बन्दोबस्त शिविर में उसे प्रदर्शित करके;

(ii) संबंधित राजस्व ग्राम के सहजदृश्य सार्वजनिक स्थल पर उसे प्रदर्शित करके;

(iii) राजस्व ग्राम से संबंधित ग्राम पंचायत के सूचना पट पर उसे प्रदर्शित करके;

(iv) संबंधित अंचल कार्यालय के सूचना पट पर इसे प्रदर्शित करके ।

(2) मानचित्र सहित अंतिम रूप से प्रकाशित अधिकार अभिलेख की प्रविष्टियों के विरूद्ध दावों / आक्षेपों की सुनवाई एवं निपटारा के लिए सरकार उपसमाहर्त्ता, भूमि सुधार से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी को अधिसूचित कर सकेगी।

(3) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा—11(1) के अधीन अंतिम प्रकाशन की तिथि से 90 दिनों के भीतर, कोई व्यक्ति, जो किसी भूमि अथवा उसके भाग में हित रखता हो,**प्रपत्र—21** में संबंधित अधिसूचित पदाधिकारी के समक्ष दावा / आक्षेप दायर कर सकेगा।

(4) संबंधित अधिसूचित पदाधिकारी, संबंधित पक्षकारों के दावे/आक्षेपों के निपटारे के लिए प्रपत्र–22 में दावों/आक्षेपों की संक्षिप्त विवरणी अंतर्विष्ट करते हुए सूचनाएं निर्गत करेगा।

(5) उपर्युक्त सूचना में सुनवाई हेतु स्थान, तिथि एवं समय का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। संबंधित पक्षकारों को उपस्थित होने, सुनवाई एवं साक्ष्य, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर दिया जाएगा।

(6) उपस्थित होने, सुनवाई किए जाने तथा साक्ष्य, यदि कोई हो, देने के लिए अवसर देने के उपरान्त भी यदि कोई पक्षकार उपस्थित नहीं होता है तो उपलब्ध अभिलेखों/दस्तावेजी साक्ष्यों एवं स्थल की जाँच–पड़ताल, यदि आवश्यक हो, के आधार पर दावों/आक्षेपों का एक पक्षीय निटपारा किया जा सकेगा।

(7) दावों / आक्षेपों का संक्षिप्त रीति से, उनकी प्राप्ति के अधिकतम 90 दिनों के भीतर, निपटारा किया जाएगा।

16. अधिकार—अभिलेख के अंतिम प्रकाशन एवं शुद्धता की उपधारणा ।—(1) राज्य सरकार, किसी क्षेत्र विशेष के संबंध में अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि उस क्षेत्र के भीतर सभी ग्रामों के अधिकार—अभिलेखों को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया गया है तथा उक्त अधिसूचना उस प्रकाशन का निश्चायक साक्ष्य होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन अंतिम रूप से तैयार एवं प्रकाशित अधिकार—अभिलेख अंतिम रूप से प्रकाशित उपधारित किया जाएगा।

(3) उस प्रकार प्रकाशित अधिकार—अभिलेख की प्रत्येक प्रविष्टि, उक्त प्रविष्टि से संबंधित विषय का साक्ष्य होगी तथा उसे तबतक शुद्ध उपधारित किया जाएगा, जबतक साक्ष्य द्वारा उसे अशुद्ध होना साबित नहीं कर दिया जाता।

17. अंतिम अधिकार—अभिलेख का संधारण।—मानचित्र सहित अंतिम अधिकार—अभिलेख की हार्ड एवं सॉफ्ट प्रतियों को सम्यक रूप से संधारित किया जाएगा तथा उसकी प्रतियाँ इच्छुक आवेदकों को निदेशक भू—अभिलेख एवं परिमाप, बिहार द्वारा, समय—समय पर यथा नियत फीस के भुगतान पर उपलब्ध करायी जाएंगी।

अध्याय X

अनुज्ञप्ति प्राप्त सर्वेयर

18. सर्वे यरों को लाइसेन्स दिया जाना।–(1) लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के विचार से निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार एक विज्ञप्ति तैयार करेंगे तथा उसे बिहार सरकार के सूचना एवं जन–संपर्क विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेब साईट के माध्यम से, प्रकाशित करायेंगे। उपर्युक्त विज्ञापन में अन्य तथ्यों के अतिरिक्त उम्र–सीमा, शैक्षणिक, तकनीकी अर्हताएँ, अनुभव, आरक्षण रोस्टर, लाइसेन्स प्राप्त सर्वेयर के कर्तव्य एवं दायित्व, फीस एवं पारिश्रमिक एवं अन्य शर्ते शामिल रहेंगी।

(2) निदेशक भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार पात्र अभ्यर्थियों को लाइसेन्स देगे तथा सूची जिला समाहर्त्ताओं तथा बन्दोबस्त पदाधिकारियों पास, जब और जहाँ अपेक्षित हो, इस निमित्त निर्गत होने वाले कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार उपयोग हेतु, भेज देंगे।

19. लाइसेन्स प्राप्त सर्वे यरों के कार्य एवं पारिश्रमिक।—(1) लाइसेन्स प्राप्त सर्वेयरों की सेवा प्राप्त करने के निमित्त कोई निजी व्यक्ति, निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार द्वारा समय–समय पर यथा नियत फीस संबंधित राजस्व कार्यालय में जमा कर सकेगा। निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप बिहार उपर्युक्त फीस में से संबंधित राजस्व कार्यालय में उपगत आनुषंगिक व्यय के रूप में घटायी जाने वाली राशि विनिश्चित करेंगे।

(2) लाइसेन्स प्राप्त सर्वेयरों को, किसी सरकारी विभाग, भू–अर्जन से संबंधित अधियाची निकाय, संस्था या प्राधिकार द्वारा उनको समनुदेशित कार्य को क्रियान्वित करने के लिए, निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार द्वारा समय–समय पर यथा नियत, पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। (3) यदि लाइसेन्स प्राप्त सर्वेयरों को, सर्वेक्षण, बन्दोबस्त तथा चकबन्दी प्रचालनों के दौरान मानचित्र/ अधिकार—अभिलेख की तैयारी या अधिकार—अभिलेखों के अद्यतनीकरण से संबंधित और इस प्रकार के कार्य सौंपा जाता है, तो उन्हें निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार के द्वार, समय–समय पर यथा नियत पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

20. लाइसेन्स प्राप्त सर्वेयरों के लाइसेन्स का रदकरण।—निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप निम्नलिखित में किसी भी कारण से किसी लाइसेन्स प्राप्त सर्वेयर का लाइसेन्स रद्द कर सकेगाः—

- (क) यदि वह अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध न हो;
- (ख) यदि उसे कार्यस्थल पर नशीले द्रव्यों का सेवन करते या नशे की हालत में पाया गया हो;
- (ग) यदि वह किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध हो या राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता हो;
- (घ) यदि वह अनैतिक आचरण अथवा वित्तीय अनियमितता का दोषी पाया गया हो;
- (ङ) कोई ऐसा आचरण, जो किसी लोक सेवक के लिए प्रयुज्य आचार संहिता के प्रतिकूल हो;
- (च) यदि वह तकनीकी रूप से अक्षम पाया गया हो।

टिप्पणी :- संबंधित लाइसेन्स प्राप्त सर्वेयर को, पूर्वोक्त आरोपों पर विनिश्चय करने के पूर्व, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने का एक अवसर दिया जाएगा।

अध्याय XI

तकनीकी मार्गदर्शिका

21. तकनीकी मार्गदर्शिका की तैयारी।—निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप, बिहार इस अधिनियम के किसी या सभी प्रयोजनों को पूरा करने के लिए इस नियमावली की अधिसूचना की तिथि से 60 (साठ) दिनों के भीतर तकनीकी मार्गदर्शिका निर्गत करेगा। उक्त तकनीकी मार्गदर्शिका प्रशासी विभाग के द्वारा अधिसूचित की जाएगी। उक्त तकनीकी मार्गदर्शिका में अन्य बातों के अतिरिक्त, आधुनिक प्रौद्योगिकी के द्वारा किस्तवार की प्रचलित पद्धतियाँ शामिल रहेंगी। उक्त तकनीकी मार्गदर्शिका में अन्य बातों के अतिरिक्त, आधुनिक प्रौद्योगिकी के द्वारा किस्तवार की प्रचलित पद्धतियाँ शामिल रहेंगी। उक्त तकनीकी मार्गदर्शिका में अन्य बातों के अतिरिक्त, आधुनिक प्रौद्योगिकी के द्वारा किस्तवार की प्रचलित पद्धतियाँ शामिल रहेंगी। उक्त तकनीकी मार्गदर्शिका में अन्य बातों के अतिरिक्त, आधुनिक प्रौद्योगिकी के द्वारा किस्तवार की प्रचलित पद्धतियाँ शामिल रहेंगी। उक्त तकनीकी मार्गदर्शिका में विश्रान्ति के दौरान किए जानेवाले कार्य भी समाविष्ट होंगे। उक्त तकनीकी मार्गदर्शिका में, अधिनियम की धारा—14 के अधीन डिजिटल प्ररूप में अधिकार अभिलेखों एवं राजस्व ग्राम के मानचित्र के संधारण / प्रकाशन तथा इच्छुक व्यक्तियों को उपलब्ध कराने के संबंध में भी आवश्यक प्रावधान भी किए जायेंगे। उक्त तकनीकी मार्गदर्शिका में अधिनियम की धारा—16 के अधीन लाइसेन्स प्राप्त सर्वेयरों के कार्य के तकनीकी पहलुओं को भी समाविष्ट किया जाएगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से, सी० अशोकवर्धन, प्रधान सचिव ।



आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि अपने भू–खण्डों की सीमाओं को भू–खण्डों के सभी मोड़ पर मिट्टी का स्तंभ देकर उसे सीमांकित कर लें।

बंदोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर

तिथि:–

		रैयत व	द्वारा स	•	प्रपत्र—2 ^{नियम—6} उप नियम रित भूमि की		षणा हे	तु प्रप	র	
राजस्व ग्रामः—										
रैयत का नाम (सह–हिस्सेदारों का नाम एवं अंश,	स्थायी पता			स्वामित्व / धार्ग	रेत भूमि का ब्यौरा			जमाबंदी सं0	भूमि पर दावा का आधार यथा–उत्तराधिकार /	अभ्युक्ति, अगर कोई हो ।
अगर कोई हो, सहित) एवं पिता का नाम		खाता	खेसरा	रकबा ए० डी०	चौहद्दी	किस्म जमीन	सेस को छोड़कर लगान		दान क्रय / बंदोबस्त / अन्य	
1	2	3	4 5 6 7 8					9	10	11

_

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि स्व–घोषणा में की गई प्रविष्टि मेरी/ हमारी जानकारी में सही है। स्व–घोषणा में किसी गलत प्रविष्टि के लिए मैं/हम जवाबदेह हूँ/हैं। नोट:–. इस प्रपत्र को दो प्रतियों में दाखिल किया जायेगा। एक प्रति आवेदक को प्राप्तकर्त्ता पदा0/कर्मी द्वारा हस्ताक्षर तथा आवेदन की तिथि एवं क्रमांक अंकित कर प्राप्ति के प्रमाण के रूप में लौटाया जाएगा।

स्थानः–

रैयत का हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान

(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)

प्रपत्र–3

(देखें नियम–6 का उप नियम– (7))

स्व-घोषणा के विरुद्ध निर्गत किये जाने वाले सत्यापन प्रमाण पत्र हेतु प्रपत्र

रैयत का	रैयत द्वारा दाखिल	भूमि का ब्यौरा			भूमि का वर्गीकरण	जमाब दी सं0	सेस को छोड कर	भूमि f	जेसकी प्रवि	वेष्टि सही पायी	गयी	अभ्युक्ति अगर कोई हो।	
नाम	स्व—घोषणा का क्र0सं0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा ए० डी0	चौहद्दी			लगान	खाता	खेसरा	रकबा ए० डी०	चौहद्दी	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

अंचल निरीक्षक का हस्ताक्षर अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर

हल्का कर्मचारी का हस्ताक्षर

10

	\sim	<u> </u>		\rightarrow
(कवल	कार्यालय	प्रयोग	हत)
		DI HINI I	21 11 1	

प्रपत्र–4 (देखें नियम-6 का उप नियम- (8))

गैर-सत्यापित/विवादग्रस्त भूमि की पंजी का प्रपत्र

राजस्व ग्रामः—----- हल्का नं०:—------ थाना नं०:—------

	रैयत का नाम	रैयत द्वारा प्रस्तुत		भूमि	का ब्यौरा		भूमि का	जमाबंदी	सत्यापन नहीं	
		स्व—घोषणा—पत्र का क्रम संख्या	खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा ए० डी०	चौहद्दी	वर्गीकरण	संख्या (अगर हो तो)	किए जाने का संक्षिप्त कारण	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ĩ										

अंचल निरीक्षक का हस्ताक्षर अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर

हल्का कर्मचारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र—5 (देखें नियम—9 का उप नियम— (1))

तेरीज या खतियान का सार

राजस्व ग्रामः—	थाना	नं0ः	अंचलः
जिलाः			

क्रम संख्या	रैयत का नाम, पिता⁄पति का नाम एवं पूरा पता	खतियान या अधिकार–अभिलेख का क्रम संख्या	खेसरा नं0		रकब	Π		लगान सेस को छोड़कर	अभ्युक्ति
				कृषित	अकृषित	अन्य	कुल	*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर

कानूनगो का हस्ताक्षर

अमीन का हस्ताक्षर



खेसरा पंजी का प्रपत्र

राजस्व	ग्रामः— थाना	नं०:हल	का नं०:—

अंचलः– जिलाः

खेसरा नं0	पिता/पति का नाम,	खाता नं0	रकबा ए० डी०	चौहद्दी	भूमि का वर्गीकरण		फसल के अन्तर्गत रकबा						अभ्युक्ति दखल
	जाति एवं पता						अगहनी	रब्बी	अन्य फसल	कृषि योग्य	कृषि हेतु अयोग्य	लगान	सहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

सहा० बंदो० पदा० का हस्ताक्षर

अमीन/लाइसेन्स प्राप्त सर्वेयर का हस्ताक्षर कानूनगो का हस्ताक्षर

शिविर के प्रभारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

रैयत का नाम, पिता⁄पति का नाम,	खाता नं0		खेसरा		रकबा	चौहद्दी	भूमि का	सेस को	राजस्व अभिलेखों में प्रवृष्टि	अभ्युक्ति
जाति एवं पता (एक से अधिक रैयत होने की दशा में उनके नाम एवं हिस्सा)	पुराना	नया	पुराना	नया	ए० डी०		वर्गीकरण	छोड़कर लगान	का आधार यथा उत्तराधिकार /दान/क्रय/बदलैन/ अन्य	दखल सहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(देखें नियम-9 का उप नियम- (6)) खनापुरी पर्चा का प्रपत्र

प्रपत्र–7

जिलाः

	ЯЧЯ—8
	(देखें नियम–9 उप नियम–(9))
	दावों / आक्षेपों का प्रपत्र
1.	दावाकर्त्ता / आक्षेपकर्त्ता का नाम,पिता / पति का नाम एवं पूरा पता —
2. 3.	प्रतिवादी का नाम,पिता / पति का नाम एवं पूरा पता— विवादित भूमि का ब्यौरा—
4. 5.	राजस्व ग्रामः— खाता :—
5.	जनादोत रहित.= दावाकर्त्ता / आक्षेपकर्त्ता का हस्ताक्षर ∕ अँगूठे का निशान
	प्रपत्र—9 (देखें नियम—9 उप नियम—9) दावों / आक्षेपों की पाबती का प्रपत्र
क्रम	तिथिदावाकर्त्ता / आक्षेपकर्त्ता का नाम
	प्राप्तकर्त्ता पदा0/कर्मचारी का हस्ताक्षर/मुहर

_

नोटः--रेखा के नीचे वाले भाग को फाड़कर दावाकर्त्ता / आक्षेपकर्त्ता को दावा / आक्षेप की प्राप्ति के प्रमाण के रूप में दिया जायेगा।

(देखें नियम–9 उपनियम (10))

दावा/आक्षेप पंजी का प्रपत्र

	राजस्व ग्रा	न :—	थान	ग नं०:—		हल्का नं०:			
अंचलः			जिलाः						
क्र0 सं0		दावाकर्त्ता⁄आक्षेपकर्त्ता का नाम पूरा पता सहित		खाता नं0	विवादित भ खेसरा नं०		- निपटारे की तिथि	आदेश का सार तिथि सहित	आदेश के अनुसार सुधार किये जाने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	(देखें नियम—10 उप नियम—(1))	
	सूचना का प्रपत्र	
श्री / श्रीमती / कुमारी	पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री	निवासी ग्राम
डाकघर थाना	अंचल	जिला
को एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक-	– — को दायर दावों/आक्षेपों,	जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, की
सुनवाई दिनांक	को पूर्वाहन / अपराहन (स्थान)	पर नियत की गयी है।

दावा/आक्षेप का ब्योरा

वाद संख्या एवं दाखिल	दावाकर्त्ता/आक्षेपकर्त्ता का नाम के			भूमि	ा का ब्यौरा			दावों/आपत्तियों
करने की	साथ-साथ पिता⁄पति का नाम	राजस्व ग्राम	थाना नं०	खाता नं0	खेसरा नं0	रकबा	चौहद्दी	- का सार
तिथि	्रे एवं पता	का नाम				ए० डी०		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

आपको निदेश दिया जाता है कि सुनवाई हेतु नियत तिथि, समय एवं स्थान पर अपने दावों/आक्षेप के समर्थन में साक्ष्य, अगर कोई हो, सहित स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हों।

अगर आप सुनवाई हेतु नियत तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित नहीं होते हैं तो वाद को उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर एक पक्षीय निपटारा किया जा सकेगा।

पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

17

(देखें नियम-11 उप नियम-(1))

प्रारूप खानापुरी अधिकार-अभिलेख का प्रपत्र

राजस्व ग्राम ------ राजस्व थाना संख्या----- के सभी भू–स्वामियों ⁄ धारियों अथवा किसी भूमि, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, में हित रखने वाले व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम------ राजस्व थाना सं0-----की भूमि से सम्बन्धित अधिकार–अभिलेख प्रारूप को एतत् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

खतियान का क्रम संख्या	खाता संख्या	। स आधक व्याक्तया।	नं0	रकबा ए० डी०	चौहद्दी	भूमि का वर्गीकरण		सल के ती योगर अगहनी	ग भूमि		खेती हेतु अयोग्य भूमि	सेस को छोड़कर लगान	अभ्युक्ति (दखल∕दखल के प्रकार सहित)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	14

अधिकार—अभिलेख प्रारूप (दिनांक)^{_______}भूमि अथवा त्रिक प्रकाशित रहेगा। आपसे अनुरोध है कि आप अपनी भूमि अथवा

उस भूमि जिसमें आपका कोई अस्तित्वयुक्त हित है, के संबंध में अधिकार—अभिलेख प्रारूप का परिशीलन किया जाय।

शिविर के प्रभारी सहा0 बन्दो0 पदा0

का हस्ताक्षर एवं मुहर

18

(देखें नियम–13 उप नियम–(1))

अधिकार--अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के दौरान दावा/आक्षेप आमंत्रित करने का प्रपत्र

सूचनाः – राज	स्व ग्राम	थाना संख्य	या	अंचल-
_	जिला	·	के सभी संबंधित व्यक्तियों क	गे
	एतत् द्वारा जानकारी दी जाती है कि रा	जस्व ग्राम		थाना
संख्या – – – –	अंचल	जिला		- का मानचित्र
सहित खानाप	र्री अधिकार–अभिलेख प्रारूप तैयार कर दि	तथा गया है तथा दिनांक	से	
तक प्रकाशित	किया जा रहा है। इस अवधि में यह सभी	ा भू—धारी तथा संबंधित व्यक्तिय	ग्रें के निरीक्षण हेतु मुफ्त उपलब्ध र	हेगा। उपर्युक्त
अवधि में खान	नापुरी अधिकार–अभिलेख में की गयी प्रविषि	ट्यों अथवा उसमें लोप होने से	संबंधित दावा⁄आक्षेप के संबंध में	आवेदन दायर
किया जा सं	केगा तथा उसे विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त	ेशिविर में प्राप्त किया जाएगा	I	

शिविर प्रभारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

स्थानः– दिनांकः– बिहार गजट (असाधारण) 12 जुलाई 2012

1. 2. 3.	. प्रतिवादी का नाम,पिता / पति का नाम एवं पूरा पता—	उप नियम—(4)) र करने का प्रपत्र	20
4. 5.		 दावाकर्त्ता / आक्षेपकर्त्ता का हस्ताक्षर / अँगूठे का निशान	बिहार गजट (असाधारण) 12 र
	प्रपत्र– (देखें नियम–13 र दावों / आक्षेपों की । संख्या नोटः–रेखा के नीचे वाले भाग को फाड़कर दावाकर्त्ता/ आक्षेपकर्त्ता को दावा/	उप नियम—(5)) पाबती का प्रपत्र दावाकर्त्ता / ओक्षेपकर्त्ता का नाम प्राप्तकर्त्ता पदा0 / कर्मचारी का हस्ताक्षर / मुहर	जुलाई 2012

(देखें नियम–13 उप नियम (5))

अधिकार–अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के दौरान दायर किए गए दावों / आक्षेपों की पंजी का प्रपत्र

	क्र0 सं0	वाद सं० एवं	दावाकर्त्ता / आक्षेपकर्त्ता का नाम, पिता / पति			विव	गदित भृ	्मि का	ब्यौरा		सुनवाई की तिथि	आदेश का सार	आदेश के अनुसार	पदाधिकारी का प्राक्षर
		दायर करने की तिथि	का नाम एवं पूरा पता	पिता ⁄ पति का नाम एवं पूरा पता	अंचल	राजस्व ग्राम			खेसरा सं0	रकबा ए० डी०			सुधार की तिथि, अगर आवश्यक हो	
ſ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(देखें नियम– 13 उप नियम–(7))

अधिकार–अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के दौरान दायर दावों / आक्षेपों

की सुनवाई हेतु पक्षकारों को सूचना का प्रपत्र

	श्री / श्रीमती / कुमारी		पुत्र / पुत्री / पत्नी	श्री
निवासी	ग्राम	डाकघर	थाना	अंचल
जिला		को एतत् द्वारा जानकारी दी जाती	है कि दिनांक	- को दायर दावों/आक्षेपों, जिनका
ब्यौरा न	ीचे दिया गया है, से ज	सम्बन्धित सुनवाई दिनांक	⁻ को पूर्वाहन⁄अपराहन (स्थान) – – – – –	की गयी है

वाद संख्या दायर करने की संबंधित भूमि का ब्यौरा											
	तिथि	पक्ष	राजस्व ग्राम	राजस्व ग्राम थाना नंo खाता नंo खेसरा नंo रकबा चौहद्दी एo डीo							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

आपको निदेश दिया जाता है कि अपने दावा/आक्षेप के समर्थन में साक्ष्य के साथ आप स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा सुनवाई हेतु नियत तिथि,

समय एवं स्थान पर उपस्थित हों अन्यथा वाद को, उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर, एकपक्षीय निपटारा किया जा सकेगा।

शिविर के प्रभारी पदाधिकारी का

हस्ताक्षर एवं मुहर

22

(देखें नियम– 14 उप नियम–(4))

नया तेरीज अथवा नया अधिकार-अभिलेख का प्रपत्र

राजस्व ग्राम------ अंचल------ राजस्व थाना सं0------ अंचल------ अंचल------

जिला

क्रम संख्या	पुराना खाता संख्या	नया खाता सखंया	पुराने रैयत का नाम	नये रैयत का नाम	नया खेसरा संख्या		रकबा			सेस को छोड़कर लगान	अभ्युक्ति दखल सहित
	(i cqi	(ieqi				कृषि योग्य	कृषि हेतु अयोग्य	अन्य	कुल		add men
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

शिविर के प्रभारी सहा0 बंदो0 पदा0 का

हस्ताक्षर एवं मुहर

(देखें नियम–14 उप नियम (4))

नये खेसरा पंजी का प्रपत्र

जिला-----

क्रम सं0	पुराना खेसरा	नया खेसरा		खाता	रकबा	रकबा	पुराना चौहद्दी	नया चौहद्दी	पुराना रैयत	नया रैयत		फसल	के अ	धीन रक	ञ्बा		सेस के छोड़कर	दखल सहित
	नं0	नं0	संख्या	संख्या	ए० डी०	ए० डी०			का नाम	का नाम	भदई	अगहनी	रब्बी	अन्य फसल	कृषि योग्य	कृषि हेतु अयोग्य	लगान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

शिविर के प्रभारी सहा0 बंदो0 पदा0 का हस्ताक्षर

कानूनगो का हस्ताक्षर

अमीन/लाइसेन्स प्राप्त सर्वेयर का हस्ताक्षर

(देखें नियम– 15 उप नियम–(1))

अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन का प्रपत्र

राष	जस्व ग्राम	Τ				राजस्व थ	गना र	सं0				के सभ	गी भू–स्वामियों ∕ धारिय
अथवा किर्स	नी भूमि में	हित रखने वाले व्यक्तिय	गें को एत	तत् द्वारा	जानक	ारी दी जार्त	ो है वि	के राजर-	व ग्राम	ſ			राजस्व
थाना सं0			की भूमि,	जिसका	ब्यौरा न	नीचे दिया ग	या है,	के संबंध	य में अ	ाधिका	र–अभिलेख	का अंतिम प्रव	काशन किया जा रहा है
रार	जस्व ग्राग	7		राग	जस्व थ	गना सं0					पुलि	स थाना	
अंच	अंचल												
खतियान का क्रम	खाता संख्या	रैयत का नाम (एक से अधिक रैयतों द्वारा हिस्सा धारित	चौहद्दी	भूमि का वर्गीकरण	फर	ाल के अ योग्य		कृषि	कृषि हेतु अयोग्य	सेस को छोड़कर	अभ्युक्ति (दखल⁄दखल के		
सं0		करने के मामले में हिस्सानुसार रैयतों का नाम) पिता का नाम, जाति एवं	सं0	ए० डी०		4 11 47 (- 1	भदई	अगहनी	रब्बी	अन्य	रकबा	लगान	प्रकार) सहित
		आवास											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

अंतिम अधिकार अभिलेख (दिनांक)------- तक प्रकाशित रहेगा। आपसे अनुरोध है कि इस अवधि के दौरान अंतिम

अधिकार अभिलेख का परिशीलन कर लिया जाय।

जिला के बन्दोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

दिनांकः–

(देखें नियम–15 उप नियम–(3)) अधिकार—अभिलेख अंतिम प्रकाशन के दौरान / प्रकाशन के उपरान्त दावा / आक्षेप दायर करने हेतु प्रपत्र

- 1. दावाकर्त्ता / आक्षेपकर्त्ता का नाम,पिता / पति का नाम एवं पूरा पता –
- 2. प्रतिवादी का नाम,पिता / पति का नाम एवं पूरा पता-
- 3. विवादित भूमि का ब्यौरा–

राजस्व ग्राम------रकबा----- थाना सं0----- खेसरा -----रकबा-----

- 4. दावा/आक्षेप का सारः–
- 5. अपेक्षित राहतः-

दिनांकः–

दावाकर्त्ता / आक्षेपकर्त्ता का हस्ताक्षर / अँगूठे का निशान ।

(देखें नियम–15 उप नियम–(4))

अधिकार-अभिलेख अंतिम प्रकाशन के दौरान/उपरान्त दायर दावों/आक्षेपों की

सुनवाई हेतु पक्षकारों को सूचना का प्रपत्र

श्री / श्रीमती / कुमारी		पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री	निवासी ग्राम
डाकघर	थाना	जिला	को एतत् द्वारा जानकारी दी जाती है कि
दिनांक	को दायर दावा/आप	त्ति, जिसका विवरण नीचे दिया गया है,	की सुनवाई दिनांक
पूर्वाहन् / अपराहन	बजे	(स्थान)	नियत की गयी है।

वाद संख्या	दायर करने की	संबंधित		भूमि का ब्यौरा								
	तिथि	पक्ष	राजस्व ग्राम	थाना नं0	खाता नं०	खेसरा नं0	रकबा ए० डी०	चौहदी	का सार			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			

आपको निदेश दिया जाता है कि सुनवाई हेतु नियत तिथि, समय एवं स्थान पर दावा/आक्षेप के समर्थन में साक्ष्य सहित स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हों, अन्यथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर, वाद का एक पक्षीय निपटारा किया जा सकेगा।

> नियम–15(2) के अधीन दावों / आक्षेपों के निपटारा हेतु अधिसूचित पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर।

11th July 2012

by Section 28 of The Bihar Special Survey and Settlement Act. 2011, the State Government hereby make the following Rules:-No. 8ध्नियम संशोधन (सर्वे) 08-02/2012-590(8)-In exercise of the powers conferred

CHAPTER – I

PRELIMINARY

Special Survey and Settlement Rules, 2012" 1. Short title, extent and Commencement.—(1) These rules may be called "The Bihar

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

Official Gazette. (3) It shall come into force on such date as may be notified by the Government in the

(Bihar Act 24, 2011) shall apply to the Bihar Special Survey and Settlement Rules, 2012 context, definitions of words given in Section-2 of Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011 2. Definitions.-- In these rules, unless there is something repugnant in the subject or

CHAPTER – II NOTIFICATION AND PROCLAMATION

survey and settlement through publication of a notification in the Official Gazette. ŝ Notification.---(1) The State Government shall express its intention to conduct special

so that record of rights of lands held/ owned by them, are correctly prepared. objections, if any, with respect to the entries during the Special Survey and Settlement operation to the different offices of the Central/State Government to enable them to put their claims/ (2) Copies of the notification published under the foregoing rule-3(1) shall also be forwarded

purpose of pointing out boundary marks of the land parcels. under Special Survey and Settlement operation, directing them to demarcate their lands for the E Form-1 addressed to the land holders/persons having any interest in the lands of the area **4.** *Proclamation.*—(1) The Survey and Settlement Officer shall publish a proclamation

claimed for the above action. necessary, for the purpose of survey. However, no claim or compensation as to cost can be cutting down or removing any trees, jungle, standing crops or other obstructions, as may be to examine and measure such lands by any method, he deems fit and may clear the lands by Settlement Officer shall have power to enter upon the lands under Special Survey and Settlement, settlement officer, or any other officer/employee, acting under the authority of the Survey and (2) After the publication of proclamation under foregoing Rule- 4(1), the survey and

CHAPTER – III

REORGANIZATION OF ONGOING SURVEY AND SETTLEMENT OPERATIONS 5. Reorganization of ongoing survey and settlement operations.-The Government

to bring it in conformity with the provisions of the Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011. may, by an executive order, reorganize the ongoing survey and settlement operations of a district

CHAPTER – IV SELF DECLARATION

of notification under rule 3(1) of the Bihar Special Survey and Settlement Rules 2012, the land acknowledgment of the same. owners/holders may submit, in duplicate, a self declaration of lands owned/held by them in Formputting date and serial number by the receiving officer/employee as a token of **2.** One copy of the self declaration shall be made over to the person concerned after initialing and 6. Self declaration by the land holder and its verification.—(1) After the publication

publication of the notification under rule-3(1). However, in special circumstance the period may be extended by 15 additional working days. (2) The self declaration shall be submitted within 30 working days from the date of

Settlement officer incharge of the concerned camp. (3) The self declaration may be submitted before the concerned Anchal Adhikari/Assistant

to the Anchal Adhikari of the concerned Anchal for its verification. shall be received in the manner prescribed in the foregoing sub Rule-(1) and shall be forwarded (4) If a self declaration is submitted before an Assistant settlement officer, the same

the tenants's ledger or any such revenue records maintained and available at his level. records such as the last record of rights, Register- IB i.e Continuous Khatiyan, Register-2 i.e. (5) The Anchal Adhikari shall verify the details of self declaration on the basis of revenue

from the date of the receipt of the self declaration. (6) The maximum period for the verification of self declaration shall be 15 working days

concerned verification certificate in Form-3 and make it available to the Assistant Settlement Officer (7) After the verification of the self declaration, the Anchal Adhikari shall prepare the

register giving reasons in brief for non verification in Form-4 and the register along with the self availability of the relevant records or due to disputes, shall be kept and maintained in a separate declarations shall be sent to the concerned Assistant Settlement Officer. (8) Any self declaration which could not be verified by the Anchal Adhikari due to non

CHAPTER – V KISTWAR

demarcation of plots as well as revenue village and ground verification. carried out by the preparation of map through modern technology inclusive of base mapping. 7. Kistwar by Modern Technology.-(1) The Kistwar of a revenue village shall be

the map so that any land parcel and its boundary may be clearly shown and measured of plots, incorporating the technical details, headings and any other relevant details pertaining to (2) The revenue map shall be prepared on different scales, keeping in view the density

check 25%, 10%, 2% and 1% of the plots respectively. Kanoongo, Assistant Settlement Officer, Charge Officer and the Settlement Officer shall randomly Officer for its verification. The Amin shall verify cent - percent of the plots of the map and the (3) The map, so prepared, shall be made available to the concerned Assistant Settlement

last survey as well as by spot verification of the areas and boundaries of the existing plots. (4) The verification of the map shall be carried out by comparing it with the map of the

not exceeding 30 working days from the date of the receipt of the map. (5) The verification of the map of a revenue village shall be completed within a period

at the camp office for the general public. notice boards of the office of the Gram Panchayat of the concerned revenue village as well as (6) The map, so prepared, after necessary correction shall remain displayed on the

CHAPTER – VI KHANAPURI

be constituted by the Settlement Officer of the concerned district consisting of the following :-8. Constitution of Khanapuri Party.-(1) Revenue village wise Khanapuri parties shall

(i) An officer/revenue employee of the Anchal Office concerned;

(ii) Representative of Director, Land Records and Survey, Bihar;

(ii) Any other designated officer or employee.

Gazette (2) The constitution of the Khanapuri party shall be published in the concerned District

equivalent grade. (3) The Khanapuri party shall be headed by an officer/employee of the kanoongo or

supervision and control of the Assistant Settlement Officer of the concerned area. (4) The Khanapuri party constituted in the aforesaid manner shall work under the

in triplicate in Form-5 and Form-6 respectively. a teriz i.e, abstract of last record of rights and a Kheshra Register shall be prepared village wise 9. Khanapuri Work:- (1) Before the initiation of Khanapuri work of a revenue village,

concerned, shall be re-verified with the help of Teriz, khesra register at the camp. made available to the Assistant Settlement Officer of the concerned camp by the Ancahal Adhikari (2) The verification certificate in respect of the self declaration of raiyats, issued and

party on the basis of the available records such as Teriz, khesra register etc. availability of the relevant revenue records or due to a dispute, shall be verified by the Khanapuri (3) The self declaration which could not be verified by the Anchal Adhikari due to non

part shall be given, and in such cases sub-division of plots shall be shown in broken lines. divided into two or more parts then a separate "Bata Number (Division Number)" for each such shown in the map, the Khanapuri Party shall ink it up in red in the map. If any plot is found subrespectively. Charge Officer and Settlement Officer shall randomly verify 25%,10%,2% and 1% of the plots verify cent-percent plots of the revenue village and Kanoongo, Assistant Settlement officer, Accordingly, the map of the concerned revenue village shall be altered/corrected. The Amin shall configuration of plot and also other changes, if any. If any plot differs from the area and boundaries village with the map made available after Kistwar and shall make a note of all the changes in the (4) The Khanapuri party shall physically verify each plot of the concerned revenue

lands, government land and record the same in the preliminary record of rights. (5) During field verification, the Khanapuri Party shall identify and demarcate public

declaration as well as actual field verification. in Form-7 in the light of available reference revenue records, verification certificates of self (6) After the verification, the Khanapuri Party shall prepare raiyat wise Khanapuri purcha

shall also be made aware of the entries of the Khanapuri purcha at a convenient place and on owners including officers concerned with Government land/public land. The Land holders/owners fixed date and time. (7) The Khanapuri Purcha prepared in Form-7 shall be served to the land holders/

proper service of the Khanapuri purcha. chowkidar and other local residents on the service report and the same shall be deemed to be a pasting it on the front gate of his house/wall. The person responsible for the service of the near relative. However, if he declines to receive the purcha the same will be served on him by purcha, shall, as far as possible, obtain the signatures of the panchayat representative, village (8) Khanapuri purcha prepared in Form-7 shall be served on the raiyat concerned or his

Form-9 a receipt as a token of acknowledgment for the same shall be issued to the person concerned in office of the State Government/Central Government/Public Sector/ Local bodies in Form-8. and holder/owner or any person having interest in the land including representatives of the concerned (9) Claims/objections against the entries of Khanapuri purcha may be filed by the land

the land received at the camp office concerned shall be maintained in a separate register in Form-10. (10) Claims/Objections of the land holder/owner or any other person having interest in

services. Elaborate order to that effect shall be issued by the Director, Land Records and Survey, Director, Land Records and Survey, Bihar, from time to time. Bihar. Remuneration/Rates for the private agency to carry out above works shall be fixed by the (11)Private agencies may be engaged in the preparation of Khanapuri purcha and its

parties concerned for the disposal of claims /objections in Form-11 clearly mentioning therein the place, date and time of hearing besides a brief account of the claim/objection. Circle Inspector/Assistant Consolidation Officer concerned shall issue separate notices to the 0. Disposal of claims/objections during Khanapuri .-- (1) The Knanoongo /

evidence, if any. (2) The parties concerned shall be given an opportunity of being heard and adduce

period of 30 working days of filing of such claims/objections. Circle Inspector/Assistant Consolidation Officer by passing a reasoned order, within a maximum (3) Claims/objections shall be disposed off in a summary manner by the Kanoongo/

the same shall be heard and disposed off by an officer not below the rank of Assistant Settlement Officer /Circle Officer/Consolidation Officer. Provided that if the claims/objections filed pertain to Government/Public Land

objections may be disposed off ex-parte on the basis of available revenue records and field verification. (4) If any of the parties does not appear even after proper service of the notice, claims/

CHAPTER – VII

PUBLICATION OF DRAFT KHANAPURI RECORD OF RIGHTS

against the entries of Khanapuri purcha as well as the map. the orders passed with respect to the claims/objections received during Khanapuri operations Khanapuri work a draft of Khanapuri record of rights shall be prepared in Form-12 incorporating 11. Preparation of Draft Khanapuri Record of Rights.- (1) After the completion of

Settlement Officer incharge of the camp. (2) The Khanapuri record of rights including the map shall be attested by the Assistant

record of rights including map prepared under rule 11(1) and attested by the Assistant Settlement following manner :-Officer concerned under rule 11(2), shall be published for a continuous period of 30 days in the 12. Publication of Draft Khanapuri Record of Rights.-(1) The draft Khanapuri

Ξ by displaying it in the Special Survey/Settlement camp concerned;

- E by displaying it at a conspicuous public place in the revenue village concerned;
- Ē by displaying it on the notice board of the office of the Gram Panchayat of the revenue village concerned;

(iv) by displaying it on the notice board of the Anchal Office concerned.

shall remain available in the Special Survey/Settlement camp office for the perusal of the public free of cost. (2) The draft Khanapuri record of rights including the map published under rule 12(1)

having interest in the land on payment of such fee as fixed by the Director, Land Records and Survey, Bihar (3) The non final copy of the map shall be made available to the desirous raiyats/persons

13. Filing of claims/objections against the entries in the draft Record of Rights.-

claims/ objections, if any, with respect to the entries of draft record of rights including the 12(1) the Assistant Settlement Officer concerned shall issue a public notice in Form-13 inviting configuration of plots shown in the concerned map. (1) Simultaneous with the publication of draft Khanapuri record of rights under rule

the concerned Special Survey and Settlement camp. revenue village concerned, on the notice boards of the Gram Panchayat Office concerned and (2) The public notice shall be displayed by pasting it at a prominent public place of the

entries of Draft record of rights including the map may be filed within 30 days, from the date of the publication of draft record of rights, free of cost. (3) The public notice shall clearly mention that claims/objections, if any, against the

or any person having interest in the land including representatives of the concerned office of the map, may be filed in the Special Survey and Settlement camp concerned, by a land owner/holder State Government/Central Government/Public Sector/Local bodies in Form-14. (4) The claims/objections against the entries in Draft Record of Rights, including the

register in Form-15 and a receipt as a token of acknowledgement for the same shall be issued to the person concerned in Form-16. in the land received at the Special Survey and Settlement camp shall be maintained in a separate (5) The claims/objections of the land owners/holders or any other person having interest

receipt of the claims/objections. (6) A separate case record for each such claim/objection shall be opened in order of the

in Form-17, whereunder a brief account of claims/objections mentioning therein the place, date and time of hearing. (7) The Assistant Settlement Officer shall issue separate notices to the parties concerned

either by himself or by any other officer/employee authorized by him in this behalf, to ascertain If necessary, the Assistant Settlement Officer shall fix a date for the inspection of the plot/plots be prepared and annexed with the case record. hearing. The parties concerned shall be informed in advance. A memo of such spot enquiry shall the physical possession over the plot/plots as well as the veracity of the evidences adduced during (8) On the date fixed, the claims/objections shall be heard and evidences shall be recorded.

basis of available records, documentary evidence and spot verification, if necessary. being heard and adduce evidence, if any, claims/objections may be disposed off ex-parte on the (9) In case any party does not appear even after given an opportunity for appearance, of

from the date of filing of the claims/objections. Settlement Officer/Circle Officer/Consolidation Officer within a maximum period of 60 days (10) Claims/objections shall be disposed off in a summary manner by the Assistant

by the same officer. Consolidation Officer the claims/objections with respect to those lands shall not be disposed off been disposed off by an officer not below the rank of Assistant Settlement Officer/Circle Officer, Provided if claims/objections with respect to any land during Khanapuri operations had

time. on remunerations/ rates as fixed by the Director, Survey and Land Records, Bihar, from time to rights and draft of notices to serve the claimants/objectors and persons having interest in the land, (11)Private agency may be engaged for the preparation of draft Khanapuri record of

CHAPTER - VIII

RECESS

alterations in the draft record of rights including the map which shall be called "Tarmim." publication of Khanapuri record of rights, shall be complied with by making necessary additions/ 14. Recess.-(1) Orders passed with respect to claims/objections against the draft

shall be called "Muqabla". Care shall be taken that the area of plots as shown in the draft record revenue village map and orders passed at different earlier stages shall be made and the process (2) A detailed comparison of village boundaries with the boundaries as shown in the last

checked and verified and the process shall be called "janch". On being satisfied after janch the revenue village in the Last Survey map and area of plots and total area of the revenue village and Assistant Settlement Officer concerned shall pass the new area as prepared after draft publication. boundaries as prepared after draft publication of record of rights shall be thoroughly compared. of rights matches with the area shown in the map concerned. (3) The area of each plot and total area of revenue village including boundaries of the

prepared by Amins/Licensed Surveyors. in Form-18 i.e, abstract of the new record of rights, new plot register in Form-19 shall be (4) After passing the area by the Assistant Settlement Officer concerned, a new Teriz

names of raiyats alphabetically in Hindi and this process shall be known as "Tartib" (5) The record of rights, before its final publication, shall be arranged according to the

and the process shall be called "Safai". A copy of the Records of Rights called "Raiyati Fard" prepared in Form-20 for its final publication in quadruplicate after proper checking and comparison (6) On the basis of the new Teriz and plot register, copies of record of rights, shall be

remain in the custody of the Director, Land Records and Survey for preservation and for future Anchal Adhikari for the preparation of Tenants Ledger Register. The third copy called "Maliki shall be made available to the concerned raiyats. The second copy shall be sent to the concerned reference Fard" shall be made available to the Collector of the District concerned. The fourth copy shall

CHAPTER – IX

FINAL PUBLICATION OF RECORD OF RIGHTS

maps finally prepared in Form-20, shall be finally published under the hand and seal of the the date of final publication for a continuous period of 30 days in the following manner.-Settlement Officer of the concerned district. The same shall be placed for public inspection from **15.** Final Publication of Record of Rights.- (1) The copies of the record of rights and

- (i) by displaying it in the Special Survey/Settlement camp concerned;
- Ē by displaying it at a conspicuous public place of the village concerned;
- (III) by displaying it on the notice board of Gram Panchayat of the revenue village concerned;
- (iv) by displaying it on the notice board of the Anchal Office concerned.

published record of rights including the map. Land Reforms for hearing and disposal of claims/objections filed against the entries of finally (2) The government may notify an officer not below the rank of the Deputy Collector

& Settlement Act, 2011, before the notified officer concerned in Form 21. within 90 days from the date of final publication under Section 11(1) of the Bihar Special Survey (3) Any person who has an interest in any land or a part thereof may file claims/objections

brief account of claims/objections to the parties concerned for the disposal of claims and objections. (4) The notified officer concerned shall issue notices in Form 22 containing therein a

notice. The parties concerned shall be provided an opportunity for appearance, hearing and adducing evidence, if any. (5) The place, date and time of the hearing shall be clearly mentioned in the aforesaid

appearance, hearing and adducing evidence, if any, claims/ objections may be disposed of exparte on the basis of available records/documentary evidences and spot enquiry, if required. (6) In case any of the parties does not appear even after given an opportunity for

of 90 days from the receipt of the same. (7) Claims/objections shall be disposed of in a summary manner within a maximum period

record of rights has been finally prepared and published for every village included in such area and such notification shall be conclusive evidence of such publication. The State Government may, by notification, declare, with regard to any specified area, that a 16. Presumption of final Publication and Correctness of Record of Rights.— <u>[]</u>

to have been finally published. (2) The record of rights finally prepared and published under this Act, shall be presumed

to in such entry and shall be presumed to be correct unless it is proved by evidence to be incorrect. (3) Every entry in a record or rights so published shall be evidence of the matter referred

desirous applicants on payment of fees, as fixed from time to time, by the Director Land Records of rights including the map shall be duly maintained and its copies shall be made available to and Survey Bihar. 17. Maintenance of Final Record of Rights.---Hard and soft copies of the final record

CHAPTER - X LICENSED SURVEYOR

candidates desirous of getting a license, the Director, Land Records and Survey, Bihar shall prepare an advertisement and cause it to be published through the website of the Department of **18.** Grant of License to the Surveyor.— - (1) With a view to obtaining applications from

Information and Public Relations and the Department of Revenue and Land Reforms, Government

of Bihar. Besides other facts, age-limit, educational, technical qualifications, experience, reservation shall be incorporated in the aforesaid advertisement. roster, the licensed surveyors' functions and duties, fees and remuneration and other conditions

and shall send the list to District Collectors/ Settlement Officers as and when required, for use as per executive instructions to be issued in this regard. (2) The Director, Land Records & Survey, Bihar shall grant license to eligible candidates

of the licensed surveyors, private individuals may deposit fees, as fixed from time to time, by the aforesaid fees as incidental expenses incurred in the Revenue Office concerned. Director Land Records & Survey, Bihar will determine the amount to be deducted out of the Director, Land Records & Survey, Bihar along with an application, in the revenue office concerned **19.** Work and Remuneration of Licensed Surveyors.— (1) In order to obtain the services

Director, Land Records & Survey, Bihar for carrying out work assigned to them by any Government (2) The licensed surveyors shall be paid remuneration as fixed from time to time by the

record of rights and the like, they shall be paid remuneration as fixed by the Director, Land Records & Survey, Bihar from time to time. maps/record of rights during survey, settlement and consolidation operations or updating of the Department, requisitioning body relating to land acquisition or any public body, institution or authority (3) In case the licensed surveyors are assigned work pertaining to the preparation of

Survey, Bihar may cancel the license of a licensed surveyor due to any of the following reasons:-20. Cancellation of License of a Licensed Surveyor.— The Director, Land Records &

- (a) If he is not committed to his work.
- <u></u> If he is found using intoxicating drugs or in an inebriated condition at work place.
- <u></u> If he is attached to a political party or takes part in political activities.
- a If he is found guilty of immoral conduct or financial irregularity.
- ٩ servant. Any such conduct, which is contrary to the code of conduct applicable to a public
- (f) If he is found technically unfit.

in accordance with the principle of natural justice, before taking a decision on the aforesaid charges Note:- The licensed surveyor concerned shall be given an opportunity to present his case.

CHAPTER – XI TECHNICAL GUIDELINES

rights and map of a revenue village in digital form to interested persons under Section-14 of the shall also incorporate works to be done during recess. Necessary provisions shall also be made in notified by the administrative department. The said Technical Guidelines shall include, besides Rules, for meeting any or all of the purposes of this Act. The said Technical Guidelines shall be also be incorporated in the said Technical Guidelines. Act. Technical aspects of the work of the licensed surveyors under Section-16 of the Act shall the said Technical Rules regarding the maintenance/publication and making available record of other things, prevalent methods of Kistwar by modern technology. The said Technical Guidelines shall frame Technical Guidelines within 60 (sixty) days from the date of notification of these **21.** Preparation of Technical Guidelines.— Director, Land Records & Survey, Bihar,

By Order of the Governor of Bihar, C.ASHOKVARDAN, Principal Secretary.

FORM-1

(See Rule-4Sub Rule (1))

FORM OF PROCLAMATION

All the Land holders/persons having interest in the land including the custodian of Public/Government land of Revenue village....... Thana No....... Anchal...... District....... District....... are hereby informed that any person authorized or deputed by the undersigned may enter upon the land to identify and demarcate the village boundary as well as its land parcels. You are directed to co-operate with them in examining/measuring the land as well as cutting down or removing trees, jungles, standing crops or other such obstructions, as may be necessary for the purpose of survey and not to put any hurdle/hindrance in discharge of their duty.

You are further directed to demarcate the boundaries of your land parcels/land by erecting mounds of earth at all bends of their boundary.

Date.....

Survey and Settlement Officer.

FORM-2

(See Rule 6Sub Rule (1))

FORM FOR SELF-DECLARATION OF LANDS OWNED/HELD BY THE RAIYATS.

Revenue Vill:-..... Police Station:-..... Halka No:-..... Police Station:-..... Anchal:-..... District:-....

Name of the Raiyat, (Including name and share of Co-sharers, if any)& Father's Name	Permanent Address	Details of Lands Owned/Held						li No.	Basis of claim over the land such as	Remarks, If any.
		Khata	Khesra	Area A. D.	Boundary	Classification of Land	Rent excluding cess.	Jamabandi	Succession/ GiftPurchase/ Settlement/Others	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I/We declare that the entries made in self-declaration is true to my/our knowledge. In case of any wrong entry in self-declaration, I/We shall be held liable for the same.

Note: This form shall be submitted in duplicate. One copy shall be made over to the petitioner as token of receipt after putting initial date and serial no. of the petition by the receiving officer/employee.

Place:-....

Date:-....

Signature/Thumb Impression Of the Raiyat.
(For Official use only)

(See Rule6 Sub Rule (7))

$FORM\,FOR\,VERIFICATION\,CERTIFICATE\,ISSUEDAGAINST\,SELF\text{-}DECLARATION.$

Revenue Vill:-..... Thana No:-..... Halka No:-..... Anchal:-..... District:-

Name of the	Serial No. of Self-		Detail	s of Land		Classification of Land	Jamabandi No.	Rent Exclusive	Eı	ntries of La	nd found cor	rect	Remarks,If any.
Raiyat	Declaration submitted by the Raiyat	Khata No.	Khesra No.	Area A. D.	Boundary			of cess.	Khata No.	Khesra No	Area A. D.	Boundary	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Signature of the Halka Karmchari

Signature of Circle Inspector

Signature of Anchal Adhikari.

(See Sub Rule-6 Sub Rule (8))

FORM FOR REGISTER OF UN-VERIFIED/DISPUTED LANDS.

Revenue Vill:-..... Thana No:-..... Halka No:-..... Anchal:-.... District:-

Name of the Raiyat	Serial No. of Self- Declaration submitted		Deta	ails of Land		Classificationof Land	Jamabandi No. (if any)	Brief reasons for non verification	Remark's
	by the Raiyat	Khata No.	Khesra No.	Area A. D.	Boundary				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Signature of the Halka Karmchari

Signature of Circle Inspector

Signature of Anchal Adhikari.

(For Official use only)

(See Rule-9, Sub Rule (1))

TERIZ OR ABSTRACT OF KHATIAN

Revenue village	ThanaNo	Anchal	District
-----------------	---------	--------	----------

Sl.No.	Name of the Raiyat	Serial No. of Record	Plot Number		Are	a		Rent	Remarks
	Father's/Husband's Name & full Address			Cultivated	Uncultivated	Others	Total	excluding Cess	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Signature of Amin

Signature of Kanoongo

Signature of Assistant Settlement Officer.

(See Rule-9, Sub Rule (1))

FORM OF KHESRA REGISTER

Revenue Village......District.....District.....

Khesra No.	Name of the tenant, Father's/	Father's/ No. A.		ary	ation d			Area	Under (Crop		luding s	Remark's Including
	Husband's name, caste and address			Boundary	Classification of land	Bhadai	Aghani	Rabbi	Other Crop	Cultivable	Unculivable	Rent excluding cess	Possession
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Signature of Amin/ Licensed Surveyor Signature of Kanoongo

Signature of A.S.O

(See Rule-9, Sub Rule (6))

FORM OF KHANAPURI PURCHA

Revenue Vill:-.....District:-....District:-....

Name of the Raiyat, Father's/	Kha	ita No.	Khes	ra No.	Area A. D.		oflands	Rent excluding	Basis for entry in the revenue records like	ing
Husband's Name, Caste & Address(In case more than one Raiyat their names & share)	Old	New	Old	New		Boundary	Classification of l	cess	succession/ gift/purchase/ exchange/others	Remarks Including Possession
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Seal and Signature of the

Camp-In-Charge.

(See Rule-9 Sub Rule (9))

FORM OF CLAIMS/OBJECTIONS

1. Name, Father's/Husband's name and full address of the Claimant/objector:-

2. Name, Father's/Husband's name and full address of the opposite party:

3. Details of disputed lands:-

Rev. Vill:-.....Khesra:-.....Area:-....Area:-....

- 4. Gist of Claim/objection:-
- 5. Relief Sought for :-

Signature/Thumb impression of the Claimant/objector.....

FORM-9

(See Rule9 Sub Rule (9)) FORM OF ACKNOWLEDGEMENTOF CLAIMS/OBJECTIONS.

Sl.N0......Date......Date......Name of the Claimant/objector.....

Signature of the Receiving Officer/Employee.

Note:-Portion below the line shall be torn and made over to the Claimant/objector as token of receipt of the Claim/objection petition.

(See Rule-9 Sub Rule (10))

FORM OF REGISTER OF CLAIMS/OBJECTIONS.

SI.	Date of	Name of the	Name of the		Disputed la	nd	- Date of	Substance	Date of
No.	filing of the Petition	Claimant/Objector with full address	opposite party with full address	khata no.	Khesra no.	Area A. D.	Disposal	of order with date	correction according to order
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

FORM-11 (See Rule-10 Sub Rule (1))

FORM OF NOTICE

Shri/Smt./Miss	Son/Daugh	nter/Wife of Shri		.resident of
village	Post office	Thana	Anchal	
District is hereby	informed that the hearing with	respect to claims/ob	jections filed on	(date),
the details of which are given b	elow, has been fixed on date	AM/PM at	(Place).	
	Details of claim/o	objection		

Case No. and date of filing	Name of the claimant/ objector alongwith,			Deta	ils of Land			Gist of claims/ objections
	Father's/ Husband's Name & Address	Name of Revenue Village	Thana No.	Khata No.	Khesra No.	Area A. D.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

You are directed to appear in person or through your authorized representative with evidence, if any, in support of your claim/Objection on the date, time and place so fixed.

If you do not appear on the date, time and place fixed for hearing, the case may be disposed of ex-parte on the basis of available records.

Seal and Signature of the Officer.

(See Rule-11 Sub Rule(1))

FORM OF DRAFT KHANAPURI RECORD OF RIGHTS

Revenue Village:-.....District.....District.....

All land owners/ holders or persons having interest in any land of revenue village.....revenue Thana

No.....,the details of which are given below, are informed that the draft record of rights with respect to the land of

revenue village......Thana No.....is hereby published:.-

Sl.No. of the khatian	Khata No.	Name of the Raiyat (in cases shares held by more than one raiyat	No.	A. D		Cultivable land under crop				Uncultivable land	Rent excluding cess	Remark's (Including Possession/ type of	
		sharewise name of raiyats), Father's/ Husband name,Caste and residence	sra		Boundary	Classification	Bhadai	Bhadai Aghani Pobbi		others			possession)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

The draft record of rights shall remain published till.....(date), You are requested to peruse the draft record of rights with regard to your land or the land in which you have any subsisting interest.

Seal & Signature of A.S.O. Incharge of Camp.

(See Rule-13 Sub Rule (1))

FORM OF NOTICE INVITING CLAIMS/OBJECTIONS DURING DRAFT PUBLICATION OF THE KHANAPURI RECORD OF RIGHTS.

Notice to:- All concerned persons of Revenue village...... Thana No......Anchal......Distirct.....

It is hereby informed that the draft Khanapuri record of rights including map of Revenue village......Thana No......Anchal......District.....has been prepared and is being published from.....

to......During this period, it shall remain available to all land holders and concerned persons for inspection, free of cost. During the aforesaid period, claim/objection petition with respect to the entry therein and the omission therefrom the draft Khanapuri records, may be filed and the same shall be received in special survey and settlement camp office. Place:-

Date:-

Seal and Signature of the Camp In-Charge.

FORM-14 (See Rule-13 Sub Rule (4)) FORM OF FILING CLAIMS/OBJECTION

- 1. Name, Father's/Husband's name and full address of the Claimant/objector:-
- 2. Name, Father's/Husband's name and full address of the opposite party:-
- 3. Details of disputed lands:-
- Rev.Vill:-.....Khesra:-....Area:-....
- 4. Gist of Claim/objection:-
- 5. Relief Sought for:- signature/Thumb impression of the Claimant/objector.....

FORM-16

(See Rule-13 Sub Rule (5)) FORM OF ACKNOWLEDGEMENT OF CLAIMS/OBJECTIONS.

S1.N0......Date......Date......Name of the Claimant/objector.....

Signature of the Receiving

Officer/Employee.

Note:-Portion below the line shall be torn and made over to the Claimant/objector as token of receipt of the Claim/objection petition

(See Rule-13,Sub Rule (5))

FORM OF REGISTER OF CLAIMS/OBJECTIONS FILED DURING DRAFT PUBLICATION OF RECORD OF RIGHTS.

Sl. No.	o. and Filing	Name of the Claimant/	Name Father's/ Husband's		Deta	ils of I	Disput	ed La	and	Hearing	Order	Date of Correction	Initial of
	Case No. a Date of Fil	Objector, Father's/ Husband's Name and full address	Name and full address of the opposite party	Anchal	Revenue Village	Thana No.	Khata No.	Khesra No.	Area A. D.	Date of He	Gist of the (according to the order, if required	the Officer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(See Rule-13, Sub Rule (7))

FORM OF NOTICE TO PARTIES FOR HEARING OF CLAIMS/OBJECTIONS FILED DURING DRAFT PUBLICATION OF RECORD OF RIGHTS.

Shri/Smt./Miss......Son/Daughter/Wife of Shri.....Resident of Village.....Post Office......Thana.....Anchal.....District.....is hereby informed that hearing with regard to claims/objections filed on(date),the details Whereof are given below, has been fixed onA.M/P.M......at......(place).

ſ	Case	Date of	Parties			Details	of Land			Gist of
	No.	filing	Involved	Revenue Village	Thana No.	Khata No.	Khesra No.	Area A. D.	Boundary	Claims/ Objections
Γ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

You are directed to appear in person or through your authorized representative on the date, time and place fixed for hearing alongwith evidences in support of your claim/objection, failing which, the case may be disposed of ex-parte on the basis of the available records.

Seal & Signature of the Officer In-Charge of the Camp.

(See Rule-14, Sub Rule (4))

FORM FOR NEW TERIZ OR ABSTRACT OF NEW RECORD OF RIGHTS

RevenueVillage......District.....District....

Sl. No.	Old	New	Name of	Name of	New		Are	a		Rent excluding Cess	Remarks including possession
	Khata No.	Khata No.	Old Raiyat	New Raiyat	Plot No.	Cultivable	Uncultivable	Others	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Seal & Signature of Asstt. Settlement Officer -in-Charge of the Camp.

FORM – 19

(See Rule 14 Sub Rule (4))

FORM OF NEW KHESRA REGISTER

RevenueVillage......District.....District....

	ra No.	w Khesra N				a					a No.	a No.	a No.	a No.	1 No.	1 No.	1 No.	1 No.	1 No.	a No.	Old Area	New Area	ary	lary	Raiyat	Raiyat		Are	ea und	ler Cro	р		ing	ding
Sl. No.	Old Khesra			New Khata	A. D.	. A. D.	Old Boundary	New Boundary	Name of Old	Name of New	Bhadai	Aghani	Rabbi	Other Crops	Cultivable	Uncultivable	Rent excluding Cess	Remarks including Possession																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																

Signature of Amin/Licensed Surveyor

Signature of Kanoongo

Signature of A.S.O.-in-charge of Camp.

(See Rule-15 Sub Rule(1))

FORM FOR FINAL PUBLICATION OF RECORD OF RIGHTS

Sl.No. of the	No.	Name of the Raiyat (in case of share held by more than	Чо.	. Area Ž A. D		tion	C		able ar er crop		Area of Uncultivable	Rent excluding	Remark's	
khatian		one raiyat share wise name of raiyats), Father's name,Caste and residence	hesra	A. D	Boundary	Classification of land	Bhadai	Aghani	Rabbi	others	land	cess	(Including Possession/ type of possession)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

The final record of rights shall remain published till...... (date). You are requested to peruse the final record of rights during this period.

Date :-

Seal and Signature of the Settlement Officer of the District

(See Rule-15 Sub Rule (3))

FORM FOR FILING CLAIMS/ OBJECTIONS DURING/AFTER THE FINAL PUBLICATION OF RECORD OF RIGHTS.

1. Name, Father's/Husband's name and full address of the Claimant/objector:-

2. Name, Father's/husband's name and full address of the opposite party:-

- Details of disputed lands: RevenueVill:-.....ThanaNo:-....Khata:-....Khesra:-....Area:-....
 4. Gist of Claim/objection:-
 - 5. Relief Sought for:-

Date:-....

Signature/Thumb Impression of the Claimant/objector

(See Rule-15,Sub Rule (4))

FORM OF NOTICE TO PARTIES FOR HEARING OF CLAIMS/OBJECTIONS FILED

DURING/AFTER FINAL PUBLICATION OF RECORD OF RIGHTS

Γ	Case No.	Date of filing	Parties		_ Gist of						
	Case Ino.	Date of hing	Involved	Revenue Village	Thana No.	Khata No.	Khesra No.	Area A. D.		Boundary	Claim/ Objection
	1	2	3	4	5	6	7	5	3	9	10

You are directed to appear in person or through your authorized representative on the date, time and place fixed for hearing alongwith evidence in support of claim/objection, failing which the case may be disposed off ex-parte on the basis of available records.

Seal & Signature of the Officer Notified Under Rule 15(2) for disposal of claims/objections.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । बिहार गजट (असाधारण) 328–571+1000 Website: http://egazette.bih.nic.in